राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1310/2025

अनिता कुमारी

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 24.02.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री बनवारी लाल शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई है एवं संशोधित अपील रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित अपील संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली जाती है।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत मोरवा, पंचायत समिति, पिलानी में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 09.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से ग्राम पंयाचत घुमनसरकलां, पंचायत समिति, पिलानी में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी को टीए/डीए दिये जाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर आदेश दिनांक

22.02.2024 के द्वारा पदस्थापित हुआ था। अपीलार्थी को एक वर्ष से कम की अवधि में स्थानान्तरित किया गया है, जो उचित नहीं।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया। हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया गया है। हम अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश को इस आधार पर गलत होना नहीं पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक वर्ष से कम की अवधि में किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो। जहां तक अपीलार्थी का यह तर्क कि अपीलार्थी को आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में योगकाल एवं यात्रा भत्ता दिये जाने का उल्लेख नहीं है, तो हम पाते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3371/2024 कन्हैया लाल भामत बनाम निदेशक, निदेशालय पशुपालन, राजस्थान सरकार, जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 06.03. 2024 में यह माना है कि इस प्रकार के स्थानांतरण को इस आधार पर गलत होना नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी को टी.ए./डी.ए. प्राप्त होने का अधिकारी नहीं माना गया है। टी.ए./डी.ए. अपीलार्थी को नियमानुसार दिलाया जा सकता है, परंतु स्थानांतरण आदेश को निरस्त किया जाना उचित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश को इस आधार पर गलत होना नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी को टी.ए./डी.ए. का भुगतान नहीं किया गया है।

4. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है। इसके साथ ही प्रत्यर्थी विभाग को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अपीलार्थी स्वयं द्वारा अपना स्थानांतरण नहीं चाहा गया है तो अपीलार्थी को नियमानुसार टी.ए./ डी.ए. का भुगतान किया जाये।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)